

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/156/2016

तारीख रजु 29.09.2016

उनवान

- 1 सुमेर पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी धंधावली तहसील हिण्डौन जिला करौली।
—वादीगण(01)

बनाम

- 1 देवीलाल पुत्र कजोडया जाति जाट वगै० निवासी धंधावली तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—प्रतिवादीगण(08)

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री शांति स्वरूप शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं


निर्णय

दिनांक 17.03.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा स्थित ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन के खसरा न. 1254, 1338/1, 1341, 1342/02, 1348/1, 1349, 1350/1, 1444/1 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 156/2016 सुमेर बनाम देवीलाल अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

